सत्यमेव जयते

INDIA NON JUDICIAL

Government of Uttar Pradesh

₹250

e-Stamp

RAHUL SHARMA Mob.- 9897983220 ACC CODE - UP14382404

04/7/2022

Certificate No.	:	IN-UP33662398404525U
Certificate Issued Date	:	04-Jul-2022 02:33 PM
Account Reference	:	NEWIMPACC (SV)/ up14382404/ MEERUT SADAR/ UP-MRT
Unique Doc. Reference	:	SUBIN-UPUP14382404592657025180420
Purchased by	:	SAINT GIRI EDUCATIONAL WALFARE TH MINAKSHI GOEL
Description of Document	:	Article 35 Lease
Property Description	:	Not Applicable
Consideration Price (Rs.)	:	
First Party	:	SAINT GIRI EDUCATIONAL INSTITUTE RALI CHAUHAN
Second Party	:	SAINT GIRI EDUCATIONAL WALFARE TH MINAKSHI GOEL
Stamp Duty Paid By	:	SAINT GIRI EDUCATIONAL WALFARE TH MINAKSHI GOEL
Stamp Duty Amount(Rs.)	:	250 (Two Hundred And Fifty only)

E-STAMP & VERIFY

E-STAMP & LOCKED

Please write or type below this line

Statutory Alert:
1. The authenticity of this Stamp certificate should be verified at 'www.shcilestamp.com' or using e-Stamp Mobile App of Stock Holding. Any discrepancy in the details on this Certificate and as available on the website / Mobile App renders it invalid.
2. The onus of checking the legitimacy is on the users of the certificate.

E-Stamp No : - IN-UP33662398404525U

लीज डीड (पट्टा विलेख)

1. पंजीकृत करने वाले कार्यालय का नाम–सब रजिस्ट्रार प्रथम मेरठ।
2. लीज डीड मियादी – 30 वर्ष
3. लीज डीड प्रारम्भ होने की तिथि – 04–07–2021
4. स्टाम्प शुल्क स्टाम्प एक्ट 1899 के अनुसार – 250/-रुपये
5. लीज डीड का वार्षिक किराया – 1000/–रूपये वार्षिक।
6. रूपये 1000/–सालान है कि जिसके छः गुणे पर 4 प्रतिशत की दर से स्टाम्प दिया गया है।
7. लीज डीड की परिधि– सम्पत्ति हस्तांतरण अधिनियम 1882 की धारा 105 के अन्तर्गत यह पट्टा आज दिनांक 04 माह 07–2022 दिन सोमवार।

हम कि **श्री सैन्टगिरि एजूकेशनल इंस्टीट्यूट (बालिका) राली रैसना,** द्वारा संचालित सेन्ट गिरि एजूकेशनल वैलफेयर ट्रस्ट 224/6, शास्त्रीनगर, मेरठ द्वारा सचिव रामकिशोर गिरि एडवोकेट उम्र 62 वर्ष पुत्र स्व0 श्री राजे गिरि गोस्वामी 224/6, शास्त्रीनगर मेरठ .... प्रथम पक्ष (पट्टा कर्ता)

व

सैन्ट गिरि एजूकेशनल वैलफेयर ट्रस्ट 224/6, शास्त्रीनगर मेरठ द्वारा उपसचिव मीनाक्षी गोयल एडवोकेट निवासी 373/7, जागृति विहार मेरठ

.... द्वितीय पक्ष (पट्टा गृहिता)

उपनिबन्धक प्रथम मेरठ में सम्पत्ति हस्तांतरण अधिनियम 1882 की धारा 105 से पट्टा विलेख परिभाषित है तथा सम्पत्ति हस्तांतरण अधिनियम 1882 की धारा 105 के धारा 117 तक के प्राविधानों के अन्तर्गत निम्नलिखित शर्ते व नियम व अधिकार पंजीकृत किये जाते है।

प्रथम पक्ष व द्वितीय पक्ष द्वारा सभी नियमों व शर्तो का पालन किया जायेगा।

1. यह कि प्रथम पक्ष श्री सैन्ट गिरि एजूकेशनल वैलफेयर ट्रस्ट 224/6, शास्त्रीनगर मेरठ बही सं0 4 जिल्द सं0 368 पृष्ठ सं0 1 से 24 पर क्रमांक 334 उपनिबन्धक प्रथम मेरठ मे दिनांक 27–07–2009 को पंजीकृत हुई है। पंजीकृत ट्रस्ट मे नो ट्रस्टी आजीवन ट्रस्टी है, जो उपनिबन्धक प्रथम मेरठ के कार्यालय मे पंजीकृत है।

2. यह कि श्री सैन्ट गिरि एजूकेशनल वैलफेयर ट्रस्ट 224/6 शास्त्रीनगर मेरठ द्वारा खसरा सं0 36 रकबई 2500 वर्गमीटर ग्राम रैसना (राली) मेरठ भूमि का क्रय दिनांक 27–12–2011 को बही सं0 1 जिल्द सं0 8426 के पृष्ठ सं0 109 से 136 पर क्रमांक सं0 13146 उपनिबन्धक प्रथम मेरठ मे पंजीकृत है।

3. यह कि खाता सं0 00060 तथा खसरा सं0 36 रकबई 2500 वर्गमीटर भूमि न्यायालय उपजिलाधिकारी मेरठ वाद सं0 162/2012 धारा 143 जेड0ए0एण्ड एल0आर0 एक्ट 1950 के अन्तर्गत उपजिलाधिकारी मेरठ द्वारा दिनांक 04–05–2012 को आदेशित कर अकृषक भूमि घोषित किया है, जो खसरा नं0 36 रकबई 2500 वर्गमीटर भूमि आबादी मे दर्ज है।

4. यह कि खसरां सं036 के कुल रकबा 4720 वर्गमीटर भूमि मे से 600 वर्गमीटर भूमि जो खाली मौके पर खेल के मैदान के रूप में प्रयोग की जा रही है जिस पर प्रथम पक्ष ने द्वितीय पक्ष को लीज पर देने का निर्णय लिया है।

5. यह कि द्वितीय पक्ष भी उस रकबे को पट्टे पर लेने के इच्छुक व सहमत है।

6. यह कि उक्त प्लाट खसरा सं0 36 मे से 600 वर्गमीटर रकबा 1000 वार्षिक किराया दिया गया।

7. यह कि पट्टे की अवधि 30 वर्ष होगी। अवधि घटाने बढाने की सहमति दोनो पक्षों मे बनने पर अवधि घटाई या बढाई जा सकेगी।

8. यह कि पट्टाग्रहिता उक्त पट्टे की भूमि का वार्षिक किराया रू0 1000/—एक हजार रूपये, वर्ष के अंत मे चैक द्वारा अथवा ड्राफ्ट द्वारा नकद भुगतान करेगा। यदि द्वितीय पक्ष प्रथम पक्ष को वार्षिक किराये का भुगतान नकद रूप में करता है तो प्रथम पक्ष धन प्राप्ति की रसीद अपने हस्ताक्षरों सहित द्वितीय पक्ष को प्रदान करेगा।

9. यह कि प्रथम पक्ष की पूर्व अनुमति के बिना पट्टा ग्रहिता को यह अधिकार नही होगा कि उक्त भूमि पर पट्टा के अधिकार को किसी अन्य को अन्तरित करे यदि उक्त सम्पत्ति का कोई पट्टा पूर्व मे किया गया है तो वह स्वतः ही आज के बाद निरस्त समझा जायेगा।

10. यह कि प्रथम पक्ष को यह अधिकार होगा यदि द्वितीय पक्ष वार्षिक किराये का भुगतान नही करता है तो उसे 30 दिन का वैधानिक नोटिस देगा। इसके पश्चात् भी द्वितीय पक्ष वार्षिक किराये का भुगतान नही करता है तो प्रथम पक्ष को अधिकार होगा कि वह प्लाट/खसरा नं0 36 को पट्टे मे दिया गया है, खाली कराने का सात माह का वैधानिक नोटिस सम्पत्ति हस्तांतरण अधिनियम 1882 की धारा 106 के अन्तर्गत देगा।

11. यह कि प्रथम पक्ष के वैधानिक नोटिस देने के पश्चात् भी वार्षिक किराये का भुगतान द्वितीय पक्ष नही किया जाता है तो प्रथम पक्ष को अधिकार होगा कि

आवेदन सं०: 202200734043466

पट्टा अनुबंध विलेख

बही स०: 1	रजिस्ट्रेशन स०: 8355	वर्ष: 2022

प्रतिफल- 0 स्टाम्प शुल्क- 250 बाजारी मूल्य - 0 पंजीकरण शुल्क - 100 प्रतिलिपिकरण शुल्क - 60 योग : 160

श्री सैन्ट गिरी एजूकेशनल इंस्टीटयूट बालिका राली रैसना द्वारा
रामकिशोर गिरी एडवोकेट अधिकृत पदाधिकारी/ प्रतिनिधि,
पुत्र श्री राजे गिरि गोस्वामी
व्यवसाय : वकालत
निवासी: 224/6, शास्त्रीनगर मेरठ

श्री, सैन्ट गिरी एजूकेशनल इंस्टीटयूट बालिका राली रैसना द्वारा — रामकिशोर गिरी एडवोकेट अधिकृत पदाधिकारी/ प्रतिनिधि

ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनाँक 05/07/2022 एवं 01:35:24 PM बजे निबंधन हेतु पेश किया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

अदीबा . खान प्रभारी
उप निबंधक :सदर प्रथम
मेरठ
05/07/2022

अदीबा . खान
निबंधक लिपिक
05/07/2022

प्रिंट करें

सिविल न्यायालय मेरठ के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत वाद योजित कर द्वितीय पक्ष को बेदखल करने का पूर्ण अधिकारी होगा। वाद योजित करने का क्षेत्राधिकार न्यायालय मेरठ होगा।

12. यह कि पट्टा विलेख प्रथम पक्ष व द्वितीय पक्ष द्वारा स्वस्थ मस्तिष्क एवं पट्टे की शर्तो को पढ़कर एवं समझ कर हस्ताक्षरित किया है, जो भविष्य मे विधि का प्रतिभाग होगा तथा प्रथम पक्ष व द्वितीय पक्ष पंजीकृत पट्टा विलेख की शर्तो का पालन करेगा।

13. यह कि यह पट्टा विलेख रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 की धारा 30 के अन्तर्गत पंजीकृत किया जाता है।

सम्पत्ति का विवरण

खाली खेल का मैदान 600 वर्गमीटर।

पूरब : सम्पत्ति खसरा सं0 36 खाली प्लाट।

पश्चिम :– रास्ता

उत्तर :– सम्पत्ति ट्रस्ट

दक्षिण :– सम्पत्ति जगपाल व खसरा सं0 350

बही स०: 1 रजिस्ट्रेशन स०: 8355 वर्ष: 2022

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमुन व प्राप्त धनराशि रु प्रलेखानुसार उक्त

पट्टा दाता: 1

श्री सैन्ट गिरी एजूकेशनल इंस्टीटयूट बालिका राली रैसना के द्वारा रामकिशोर गिरी एडवोकेट, पुत्र श्री राजे गिरि गोस्वामी

निवासी: 224/6, शास्त्रीनगर मेरठ

व्यवसाय: वकालत

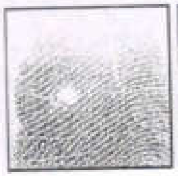

पट्टा गृहीता: 1

श्रीमती सैन्ट गिरी एजूकेशनल वैलफेयर ट्रस्ट के द्वारा मीनाक्षी गोयल एडवोकेट, ०

निवासी: 373/7 जाग्रति विहार मेरठ

व्यवसाय: वकालत

ने निष्पादन स्वीकार किया । जिनकी पहचान

पहचानकर्ता : 1

श्री सेवाराम शर्मा एडवोकेट, पुत्र श्री महीपाल सिंह

निवासी: 989 शिव शक्ति नगर, ब्रहमपुरी मेरठ

व्यवसाय: वकालत

पहचानकर्ता : 2

श्री विवेक कुमार , पुत्र श्री सुशील कुमार

निवासी: 4 भोपाल विहार गढ रोड मेरठ

व्यवसाय: अन्य

ने की । प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिए गए है ।

टिप्पणी :

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

अदीबा . खान प्रभारी
उप निबंधक : सदर प्रथम
मेरठ
05/07/2022

अदीबा . खान
निबंधक लिपिक मेरठ
05/07/2022

E-Stamp No : - IN-UP33662398404525U

ह0 प्रथम पक्ष

ह0 द्वितीय पक्ष

गवाह 1.

सेवाराम शर्मा एडवोकेट
S/o महीपाल सिंह
निवासी - 981 शिवशक्ति
पुरी मेरठ

गवाह 2

विवेक कुमार S/o सुशील कुमार
निवासी - 4 गोपाल पैलेस
गढ़ रोड मेरठ

तहरीर तारीख 04–07–2022 एवं मसविदा एस0आर0शर्मा एडवोकेट 9, सिविल कोर्ट, मेरठ द्वारा हस्ताक्षरित।

S. R. Sharma
M.A.LL.B.
9, Civil Court Compound
Meerut

आवेदन सं०: 202200734043466

बही संख्या 1 जिल्द संख्या 14609 के पृष्ठ 221 से 232 तक क्रमांक 8355 पर दिनाँक 05/07/2022 को रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

अदीबा . खान प्रभारी

उप निबंधक : सदर प्रथम

मेरठ

05/07/2022

प्रिंट करें